Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	निगरानी/टी.ए./4340/2006/गंगानगर **उदय सिंह बनाम सरकार व अन्य**	

एकल–पीठ

श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री अमृतपाल सिंह अभिभाषक प्रार्थी।

(2) श्री प्रशान्त सोनी अभिभाषक अप्रार्थी

(3) श्री शिवप्रकाश चौधरी उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक :

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी श्री गंगानगर के निर्णय दिनांक 7–6–06 के विरूद्व प्रस्तुत की गई हैं। आक्षेपित आदेश के द्वारा अपील का श्रवणाधिकार नहीं मानते हुये खारिज की गई है।

2– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने अप्रार्थी संख्या 2 गोरधन के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करते हुये रोही ढांढियावाली के खसरा नम्बर 204पुराना का खसरा नम्बर 234 नया में गोरधन पुत्र नानूराम आराजी आवंटन दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं। क्योंकि रकबा नवीनीकरण के समय गोरधन के पिता का नाम गलती से हो गया था जिसे दुरूस्त कर पिता का नाम नानूराम दर्ज करने के आदेश दिये हैं। यह प्रकरण टी सी पर हुये आवंटन को नवीनीकरण से सम्बन्धित था। जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश पारित किये गयें हैं। इसलिये उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील संधारण योग्य नहीं थी। इस हद तक राजस्व अपील प्राधिकारी का आदेश विधिसम्मत है। लेकिन अपील संधारण योग्य नहीं होने की स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी को उनके न्यायालय में प्रस्तुत अपील को अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेश 7 नियम 10 जाब्ता दीवानी के तहत लौटा देना चाहिये था।

4– उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है। राजस्व अपील प्राधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उनके न्यायालय में प्रस्तुत अपील को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी को लौटा देवें और प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./4340/2006/गंगानगर</u>** **उदय सिंह बनाम सरकार व अन्य**	
	करने हेतु स्वतंत्र माना जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	